सत्यमेव जयते

THE
JHARKHAND GAZETTE
EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 358 **6 Baishakh, 1941(S)**

Ranchi, Friday, 26th April, 2019

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

Notification

25th April, 2019

Notification No. 14/2019 – State Tax

S.O. No. 41 Dated 26th April, 2019 -- In exercise of the powers conferred under the proviso to sub-section (1) of section 10 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), and in supersession of the notification S.O. No. 50, State Tax, dated the 29th June, 2017, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, except as things done or omitted to be done before such supersession, the Government of Jharkhand, on the recommendations of the Council, hereby specifies that an eligible registered person, whose aggregate turnover in the preceding financial year did not exceed one crore and fifty lakh rupees, may opt to pay, in lieu of the tax payable by him under sub-section (1) of section 9 of the said Act, an amount of tax as prescribed under rule 7 of the Jharkhand Goods and Services Tax Rules, 2017:

Provided that the said aggregate turnover in the preceding financial year shall be seventy-five lakh rupees in the case of an eligible registered person, registered under section 25 of the said Act, in any of the following States, namely: –

(i) Arunachal Pradesh,
(ii) Manipur,
(iii) Meghalaya,
(iv) Mizoram,
(v) Nagaland,
(vi) Sikkim,
(vii) Tripura,
(viii) Uttarakhand:

Provided further that the registered person shall not be eligible to opt for composition levy under sub-section (1) of section 10 of the said Act if such person is a manufacturer of the goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below and falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter, as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, namely:-

TABLE

Sl. No.	**Tariff item, sub-heading, heading or Chapter**	**Description**
(1)	(2)	(3)
1.	2105 00 00	Ice cream and other edible ice, whether or not containing cocoa.
2.	2106 90 20	Pan masala.
3.	24	All goods, i.e. Tobacco and manufactured tobacco substitutes.

Explanation. –

(i) In this Table, "tariff item", "sub-heading", "heading" and "chapter" shall mean respectively a tariff item, sub-heading, heading and chapters as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975).

(ii) The rules for the interpretation of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), including the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification.

2. This notification shall be deemed to be effective from 1st April, 2019.

[File.No Va Kar / GST / 01/ 2019]
By the order of the Governor of Jharkhand,

Prashant Kumar,
Secretary-cum-Commissioner.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

25 अप्रैल, 2019

अधिसूचना सं. 14/2019- राज्य कर

एस. ओ. सं. 41 दिनांक 26 अप्रैल, 2019-- झारखण्ड सरकार, झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 10 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और झारखण्ड के राजपत्र, आसाधारण, में एस. ओ. सं. 50, राज्य कर, तारीख 29 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया था या करने का लोप किया गया था, परिषद् की सिफारिशों पर यह विनिर्दिष्ट करती है कि ऐसा कोई पात्र रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में संकलित आवर्त एक करोड़ पचास लाख रूपए से अधिक नहीं है, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन उसके द्वारा संदेय कर के बदले में, झारखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 7 के अधीन यथा विहित कर की रकम का विकल्प ले सकेगा :

परंतु पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में उक्त संकलित आवर्त निम्नलिखित किन्हीं राज्यों में, उक्त अधिनियम की धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकृत पात्र व्यक्ति रजिस्ट्रीकृत की दशा में पचहत्तर लाख रुपए होगा, अर्थात् :-

(i) अरुणाचल प्रदेश,

(ii) मणिपुर,

(iii) मेघालय,

(iv) मिजोरम,

(v) नागालैंड,

(vi) सिक्किम,

(vii) त्रिपुरा,

(viii) उत्तराखंड :

परंतु यह और कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उक्त अधिनियम, की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन संयुक्त उदग्रहण का विकल्प लेने के लिए पात्र नहीं होगा, यदि ऐसा व्यक्ति ऐसे माल का विनिर्माता है, जिसका विवरण नीचे की सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट है और उक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट, यथास्थिति, टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष या अध्याय के अंतर्गत आता है :-

<u>सारणी</u>

क्रम सं.	**टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष या अध्याय**	**विवरण**
(1)	(2)	(3)
1.	2105 00 00	आइसक्रीम और अन्य खाद्य बर्फ, चाहे उसमें कोका मिला है नहीं ।
2.	2106 90 20	पान मसाला ।
3.	24	सभी माल, अर्थात् तंबाकू और विनिर्मित तंबाकू अनुकल्प ।

स्पष्टीकरण.-

(i) इस सारणी में, "टैरिफ मद", "उपशीर्ष", "शीर्ष" और "अध्याय" से सीमाशुल्क अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट क्रमशः टैरिफ मद,उपशीर्ष,शीर्ष और अध्याय अभिप्रेत होगा ।

(ii) उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची, जिसके अंतर्गत पहली अनुसूची के अनुभाग और अध्याय टिप्पण तथा साधारण स्पष्टीकारक टिप्पण भी हैं, के निर्वचन के लिए नियम, जहां तक हो सके, इस अधिसूचना के निर्वचन को लागू होंगे ।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2019 से लागू मानी जाएगी।

[सं.सं .०कर/जी०एस०टी०/01/2019]

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

प्रशांत कुमार,

सचिव-सह-आयुक्त ।

Printed & Published by the Superintendent of Jharkhand Government Press, Doranda, Ranchi.
Jharkhand Gazette (Extraordinary) 358 -- 50.